

न्यायालय, सगाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

B.C.C.A. Case No.- 56 /2020 राज्य बनाम श्री ओम यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव

-: आदेश :-

20.10.2020

यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-516/सी.आर. दिनांक 03.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री ओम यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव पे0 स्व0 बरछन यादव, सा0 चतरा, थाना ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0), जिला मधेपुरा एक सक्रिय एवं साम्प्रदायिक रोहार्द बिगाड़ने वाला अपराधकर्मी है। इनके विरुद्ध मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0) में कांड दर्ज है तथा मानवीय न्यायालय में विचाराधीन है। आरंभ बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 में फिरी एक पार्टी की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए डरा-धमका रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में लोकहित एवं जनहित में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत गिरफ्तार करने पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है:- (1) ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0) थाना कांड सं0-199/18, दि. 01. 12.18, धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

प्रतिपक्षी के विज्ञ अपिचकता कहना है कि प्रतिपक्षी कानून में अस्था रखने वाले व्यक्ति है। वर्तमान विधान सभा चुनाव में फिरी पार्टी या उम्मीदवार से दूर-दूर तक फिरी प्रकार का संबंध नहीं है। प्रतिपक्षी अभियुक्त नहीं है। परस्पर जमीन जायदाद की दुश्मनी से उक्त मामले में फंसाया गया है। मतदाताओं को डराने-धमकाने का आरोप निराधार है। कानून विरुद्ध कार्य करने की कोई गंशा नहीं है, जिससे प्रशासनिक विधि-व्यवस्था पर कोई आंच पहुँचे। दायित्व लिखित अभिकल्पन स्वीकार करते हुए इन्हें आरोप से मुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

राज्य के पक्षकार विज्ञ अपर लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि दायित्व कारण पृष्ठ संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। प्रतिपक्षी के विरुद्ध प्रतिवेदित कांड गंभीर प्रकृति के है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा शामिल है। सम्प्रति मामला विज्ञ अपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस प्रतिवेदन से जाहिर होता है प्रतिपक्षी का व्यवहार सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध है। इसी गैर जिम्मेदारना हरकत के चलते अगामी चुनाव में विधि-व्यवस्था पर अरार पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इनके आचरण को देखते हुए चुनाव के दौरान मतदाताओं में भय व्याप्त होना स्वभाविक है। इन्हें प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है, ताकि मतदान में कमजोर वर्गों के मतदाताओं को कोई कठिनाई नहीं उठना पड़े। इन्हें केवल मतदान के दिन कुछ शर्तों के साथ मतदान करने हेतु छूट दी जा सकती है।

राज्य का पक्ष सुनने के बाद प्रतिपक्षी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(1) के अन्तर्गत ये "असामाजिक तत्त्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से आम जनता में भय व्याप्त है, जिससे आमजन के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। आरोप की प्रकृति एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं लोकहित में जितांत आवश्यक है। अतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर श्री ओम यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव पे0 स्व0 बरछन यादव, सा0 चतरा, थाना ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0), जिला मधेपुरा को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उपधारा-3 के अन्तर्गत 71-बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमंडल मधेपुरा अन्तर्गत गम्हरिया थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। उन्हे यह भी आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से मधेपुरा जिला के गम्हरिया थाना में सदैव उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 अप0 के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। दिनांक 07-11-2020 को अपने मत का प्रयोग करना चाहे, तो उन्हे लिखित सूचना गम्हरिया थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण बौरा समर्पित करेंगे, तत्पश्चात् थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, गम्हरिया को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में इसके लिए एक उपस्थिति पंजी संचारित करेंगे और श्री ओम यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव पे0 स्व0 बरछन यादव, सा0 चतरा, थाना ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0), जिला मधेपुरा का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे। दोनों थानाध्यक्षों को यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रतिपक्षी पर पैनापन नजर रखेंगे। फिरी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेजे। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित थानाध्यक्षों को निदेशित करेंगे। आदेश की प्रति प्रतिपक्षी को तागिला कराने ओ0पी0 अध्यक्ष, अरार एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, गम्हरिया को भेजे। आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ए/—

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।



ह/—  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

डी0बी0 सं0..... 516/सी.आर. /न्या0, दिनांक..... 20/10/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, गम्हरिया/ ओ0 पी0 अध्यक्ष, अरार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री ओम यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव पे0 स्व0 बरछन यादव, सा0 चतरा, थाना ग्वालपाड़ा (अरार ओ0पी0), जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

20/10  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।